सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः– 185 / प्रा0पत्र / 2021 दायरा दिनांक :–25.10.2021

GCMS ID–2021 / 221

1. सोनूबाई पत्नी दामसिंह जाति मीणा निवासी पाडलू–लादू तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0

प्रार्थीया

बनाम

1. धन्ना आ0 कल्याण जाति मेघवाल निवासी ग्राम लादू पाडल तहसील हिण्डोली जिला बून्दी राज0।
2. राज0 राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली, जिला–बून्दी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :– राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
की धारा 131 के तहत गलत तरमीम निरस्त हेतु।

वकील प्रार्थी :– श्री शम्भूदयाल शर्मा
अप्रार्थी :– संख्या 1 स्वयं, 2 पेरोकार सरकार

दिनांक :– 30 / 04 / 2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 1497 / 1068 रकबा 0.8094 हैक्टेयर वाके ग्राम नेगढ पटवार मण्डल नेगढ तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में स्थित है जो अप्रार्थी संख्या 1 धन्ना के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है। भूमि की जमाबंदी संलग्न है। खसरा संख्या 1068 एक बडा रकबा है जिसमें से 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर प्रार्थीया के ससुर मांगीलाल आ0 चन्द्रा मीणा काबिज काश्त चले आ रहे है एवं खसरा संख्या 1068 में से ही 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर प्रार्थीया मकान–बाडा बनाकर काफी समय पूर्व से निवास करती चली आ रही है। खसरा संख्या 1068 की 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर प्रार्थीया काफी समय पूर्व से आवास मकान बनाकर निवास कर रही है एवं साथ ही मकान परिसर बाडे में कृषि उपकरण, जानवरों का चारा, जलाउ लकडिया, छाणे–कण्डे आदि रखती आ रही है और मकान में अपने परिवार सहित निवास करती चली आ रही है। अप्रार्थी धन्ना की आवंटित भूमि प्रार्थीया के मकान–बाडे की भूमि से काफी दूर स्थित है जहॉ अप्रार्थी काबिज है। खसरा संख्या 1068 की प्रार्थीया के कब्जे व मकान बाडे की भूमि रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा के आस–पास अप्रार्थी की कोई भूमि नहीं है और न ही प्रार्थीया के मकान–बाडे के आस–पास किसी प्रकार की कोई खेती होती है लेकिन राज्य सरकार द्वारा सभी आवंटियों की आंवटित

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

भूमियों की डी0आर0एल0एल0पी0 योजना के तहत एक निश्चित समय में राजस्व नक्शे में तरमीम करने के निर्देश जारी किये जाने से राजस्व कर्मचारियों द्वारा तत्परता दिखाते हुये भूमि पर कब्जे एवं मौके का भौतिक सत्यापन किए बिना ही दफतर में बैठकर अप्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 1497 / 1068 की नक्शे में तरमीम कर दी गई है जो अवैध एवं गलत होने से निरस्तनीय है। प्रार्थीया के मकान–बाडे के आस–पास अप्रार्थी धन्ना का कोई कब्जा नहीं है इसके बावजूद राजस्व कर्मचारियों ने धन्ना के कब्जे से भिन्न स्थान पर अर्थात प्रार्थीया के मकान–बाडे के स्थान पर अप्रार्थी की भूमि की तरमीम कर दी गई है जो तरमीम के नियमों के विपरित होने से खारिज योग्य है। तरमीम का मुख्य आधार कब्जा होती है और कब्जे के अनुरूप ही तरमीम होती है, लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने अप्रार्थी के कब्जे के स्थान पर भौतिक सत्यापन किए बिना ही खसरा संख्या 1068। में बने हुए प्रार्थीया के मकान–बाडे के स्थान पर अप्रार्थी की तरमीम कर नक्शे में गलत इन्द्राज कर दिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीया के मकान–बाडे के स्थान पर अप्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 1497 / 1068 की तरमीम कर देने का अनुचित फायदा उठाकर अप्रार्थी दिनांक 01.10.2021 को प्रार्थीया के मकान–बाडे की भूमि आ गया और प्रार्थीया को धमकी दी कि जमीन खाली करो, यहॉ पर अर्थात आपके मकान–बाडे के स्थान पर मेरी भूमि की तरमीम हो रही है जिससमें मैं तुम्हारे मकान बाडे पर कब्जा करूंगा। उक्त धमकी अप्रार्थी द्वारा दिनांक 01.10.2021 को देने से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण उत्पन्न हुआ है जो निरंतर जारी है। प्रार्थीया को अधिकार प्राप्त है कि खसरा संख्या 1068 में से 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि पर बने हुए प्रार्थीया के आवासीय मकान–बाडे के स्थान पर अप्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 1497 / 1068 की, की गई तरमीम को निरस्त करवावे। श्रीमान को लेण्ड रिकॉर्ड आफिसर की हैसियत से लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 131 के तहत तरमीम के इन्द्राज को निरस्त / दुरूस्त करने के अधिकार प्रापत है। भूमि ग्राम नेगढ तहसील हिण्डोली की होने से श्रीमान को श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम नेगढ की भूमि खसरा संख्या 1497 / 1068 की नक्शे / मानचित्र में की गई तरमीम के इन्द्राज को निरस्त किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जबाव पेश कर गलत की हुई तरमीम को निरस्त कर वर्तमान कब्जे अनुसार तरमीम किए जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है। प्रकरण में विवादित भूमि की कार्यालय तहसीलदार, हिण्डोली से प्राप्त जांच रिपोर्ट पत्र कमांक :–राजस्व / 24 / 1568 दिनांक 26.06.2024 अनुसार खसरा संख्या 1497 / 1068 अप्रार्थी संख्या 1 की गैरखातेदारी में दर्ज है। नक्शा शीट में जहॉ खसरा संख्या 1497 / 1068 तरमीम हो रही है वहॉ गैरखातेदार का कब्जा नहीं होकर मूल खसरा संख्या 1068 सिवायचक में कही पर भी अप्रार्थी संख्या 1 गैर खातेदार का कब्जा नहीं है। मूल खसरा संख्या 1068 में प्रार्थी / उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम खातेदारी / गैर–खातेदारी भूमि दर्ज नहीं है। प्रार्थी का जहॉ मकान बना हुआ है वह खसरा संख्या 1497 / 1068 की सीमा से बाहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बूंदी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

मूल खसरा संख्या 1068 में बना हुआ है। नक्शे में की हुई तरमीम व वर्तमान में मौके पर वर्तमान कब्जे का नजरी नक्शा संलग्न है।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 131 के अन्तर्गत ''सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्डबुक रखी जावेगी व प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येंक गांव या गांव के बाहर भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्डबुक में की बतलाई जावे, सही करने के प्रावधान दिए हुए हैं।''

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थीया की बहस सुनी। हमने पत्रावली पर उपलब्ध मौका जांच रिपोर्ट कर अवलोकन कर मनन किया। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र खसरा संख्या 1497 / 1068 की तरमीम दुरूस्ती बाबत पेश किया है। उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 की गैर खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीया विवादित भूमि पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज काश्त है जिसे किसी अन्य गैर–खातेदार के नाम दर्ज भूमि की तरमीम दुरूस्त कराने का कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज भी पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे कि विवादित भूमि उनको आंवटन होना जाहिर हो। प्रार्थना पत्र प्रार्थी साबित नहीं होने से खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया उपर अंकित तथ्यों अनुसार स्वीकार योग्य नहीं होने / साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक :– 30.04.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

30/04/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज)

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446